1176
19/10/12

अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग,

क्रमांक प. 13(51)का./क–1/गो.प्र./2012 जयपुर, दिनांक 3 OCT 2012

परिपत्र

मेरे ध्यान में आया है कि राज्य सेवा अधिकारियों के विभिन्न वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन विभाग में बकाया चल रहे है । राज्य सेवा अधिकारियों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों के पूर्ति के अभाव में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक इत्यादि के समय उनका नियमित चयन नहीं हो पाता जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना करना पडता है । यह स्थिति खेदजनक है ।

कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग द्वारा जारी कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुदेश 2008 में प्रतिवेदित /प्रतिवेदक /समीक्षक अधिकारियों द्वारा प्रतिवेदन की पूर्ति किए जाने बाबत समय निर्धारण भी किया हुआ है परन्तु निर्धारित समय में कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की पूर्ति नहीं की जाती है । प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन की पूर्ति कर प्रतिवेदक अधिकारी को प्रस्तुत नहीं की हो तो प्रतिवेदक अधिकारी अपने स्तर से प्रेतिवेदन के भाग–II की पूर्ति कर समीक्षक अधिकारी को प्रस्तुत करें। प्रतिवेदक अधिकारी सेवा निवृत हो गये हो तो प्रतिवेदित अपना प्रतिवेदन सीधे ही समीक्षक अधिकारी को प्रस्तुत करें व समीक्षक अधिकारी भी सेवा निवृत हो गये हो तो स्वीकारकर्ता अधिकारी को पूर्ति हेतु प्रस्तुत करें। अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीन कार्यरत समस्त राज्य सेवा अधिकारियों के बकाया प्रतिवेदनों की 15 दिवस में पूर्ति कर इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करें ।

17/10

(सुदर्शन सेठी) 3/10/2012
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1.प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय ।
2.प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3.उप सचिव, मुख्य सचिव ।
4.समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / उप शासन सचिव
5.समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव
6.समस्त संभागीय आयुक्त ।
7.समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8.प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग–7 कापियों सहित ।
9.एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।

विशेषाधिकारी

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 2सी(32)76/गोप्र/प्रमुवस/ दिनांक अक्टूबर, 2012

परिपत्र

इस कार्यालय की जानकारी में आया है कि कतिपय वनाधिकारियों द्वारा अपने अधीन कार्यरत रहे अधिकारियों/कार्मिकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपत्र में बतौर प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी की टिप्पणी, कार्मिक (क–1) विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या एफ 13(51)कार्मिक/क–1/एसीआर/08 दिनांक 5.6.2008 में, निर्धारित की गई समय सीमा में अंकित कर इनके प्रतिवेदनों को अभिलेख संधारणकर्ता अधिकारी/कार्यालय को प्रत्येक वर्ष में 30 जून तक नहीं भिजवाया जा रहा है। कार्मिक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पर कार्मिक विभाग के निर्देश से निर्धारित की गई समय सीमा पश्चात् टिप्पणी अंकित कर भिजवाना सम्बन्धित अधिकारी की गम्भीर लापरवाही/राज्य कार्य में निष्ठा में संदिग्धता प्रदर्शित करता है। दिनांक 18.9.2012 को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा इस प्रकार के कृत्य को बहुत गम्भीरता से लिया गया है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जारी समय सीमा में कार्मिकों की पदोन्नति/चयनित वेतनमान/एसीपी प्रकरणों का निस्तारण किया जाना है, परन्तु कार्मिकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उनके डोजीयर में उपलब्ध नहीं होने के कारण अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

इस परिपत्र के माध्यम से आपको आगाह किया जाता है कि अपने अधीन कार्यरत प्रत्येक अधिकारी/कार्मिक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रत्येक वर्ष कार्मिक विभाग के निर्देश के अनुरूप निर्धारित समय सीमा में बतौर प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी की टिप्पणी अंकित कर 30 जून तक प्रतिवेदन अभिलेख संधारणकर्ता अधिकारी/कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

इसके अतिरिक्त जिन अधिकारियों के पास विगत वर्षों में अपने अधीन कार्यरत रहे अधिकारियों/कार्मिकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन बतौर प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारोक्ति टिप्पणी अंकित किये जाने हेतु लम्बित है, इस प्रकार के प्रतिवेदनों पर तत्काल अपनी टिप्पणी अंकित कर दिनांक 26.10.2012 तक कार्मिक के प्रतिवेदन संधारणकर्ता अधिकारी/कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित किया जावे। उक्त दिनांक 26.10.2012 के पश्चात् यदि कार्मिक/अधिकारी के विगत वर्षों के लम्बित गोपनीय प्रतिवेदनों पर प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारोक्ति टिप्पणी अंकित किया जाना नहीं पाया गया तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध सम्बन्धित नियमों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। अतः विगत वर्षों के लम्बित प्रतिवेदन प्राथमिकता से पूर्ति कर डोजीयर संधारणकर्ता को भिजवाया जावे।

स्वीकारकर्ता अधिकारी प्रत्येक वर्ष की 30 जून को इस कार्यालय को यह प्रमाण–पत्र भिजवायें कि उनके अधीन कार्यरत समस्त कार्मिकों के गत वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में स्वीकारोक्ति टिप्पणी अंकित की जाकर अभिलेख संधारणकर्ता कार्यालय को भिजवाई जा चुकी है।

इसे सर्वोपरि प्राथमिकता दी जावे।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक 25 अक्टूबर, 2012

क्रमांक एफ 2सी(32)76/गोप्र/प्रमुवस/ 4847-4947/C

प्रतिलिपि समस्त वनाधिकारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित है।

मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन)
जयपुर